न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 223/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/348

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1.वहीदा बानू पत्नि फयाज मोहम्मद
2.रहीशा बानू पत्नि सफी मोहम्मद
3.रूकसाना बानू पत्नि नसरूदीन
4.मोहम्मद शकील पुत्र सफी मोहम्मद
5.मोहम्मद इमरान पुत्र फयाज मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वाड़ीया मजीस के पास बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा
2.नगर परिषद बालोतरा जरिए आयुक्त
3.ओमप्रकाश पुत्र दौलतराम जाति महेश्वरी निवासी जसोल
4.घमण्डाराम पुत्र नेमाराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
5.जीवाराम पुत्र वीरमाराम जाति मेघवाल निवासी मूगड़ा तहसील पचपदरा
6.हस्तीमल पुत्र डूगंरमल जाति मेघवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
7.बाबुलाल पुत्र केसाराम जाति जाट निवासी पनावड़ा
8.गोदूराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
9.भगवानदास पुत्र देवकिशन जाति महेश्वरी निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
10.ओमप्रकाश पुत्र देरामजी जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
11.राजेशकुमार पुत्र सोनाराम जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
12.लीलादेवी पत्नि सोनाराम जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
13.श्यामलाल पुत्र सोनाराम जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
14.सुरेशकुमार पुत्र सोनाराम जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

15.अशोककुमार पुत्र नेमीचंद
जाति ओसवाल निवासी बालोतरा
16.सुशीलादेवी पत्नि शान्तिलाल
जाति ओसवाल निवासी बालोतरा
17.चनणीदेवी पत्नि पेमाराम जाति जाट
निवासी मूढो की ढाणी
18.जेठूलाल पुत्र वावुलाल कुम्हार
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
19.नरेन्द्रसिंह पुत्र जालसिंह राजपूत
निवासी जसोल तहसील पचपदरा
20.पार्वतीदेवी पत्नि घीगड़मल
जाति माली निवासी बालोतरा
21.मोरोदेवी पत्नि प्रहलादराम जाति माली
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
22.रेखादेवी पत्नि महेन्द्रकुमार
जाति माली निवासी बालोतरा
23.लालचंद पुत्र मगराज जाति ओसवाल
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
24.शान्तिलाल पुत्र खुबचंद
जाति ओसवाल निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री संजय नाहर अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 18
3.विप्रार्थी संख्या 1 से 17 व 19 से 24 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 30.01.2026

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि खसरा संख्या 666/66 रकबा 0.8903 हैक्टयर व खसरा संख्या 671/66 रकबा 5.05 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जरिए रजिस्ट्री बेचाननामा के खरीद कर भूमि पर स्वत्व हक व भूमि का कब्जा प्राप्त किया। इसी तरह खसरा संख्या 1349/66 रकबा 5.05 बीघा खरीद कर स्वत्व हक व कब्जा भूमि प्रार्थी संख्या 4 व 5 ने प्राप्त किया तथा तत्पश्चात उक्त भूमि के पटटे प्राप्त करने हेतु धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम के तहत विप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के स्वामित्व खसरा संख्या 666/66,671/66 व 1349/66 की सीमाओं को लेकर पड़ौसी खसरान के खातेदार आए दिन विवाद करते रहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बिठूजा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 666/66 क्षेत्रफल 0.8903 हैक्टेयर, भूमि की पैमाईश करवाकर खेत की सीमाओ स्थायी सीमा चिन्ह कर नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 14 व 16,18 से 22 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 6 व 15 से 17 व 23,24 के रजिस्ट्री नोटिस अदम तामील प्राप्त होने के कारण उक्त विप्रार्थी की दैनिक अखबार में छायाकंन करवाए गए,जो सम्यक तामीली श्रेणी में है। अधिवक्ता श्री संजय नाहर द्वारा विप्रार्थी संख्या 18 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 18 अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 17 व 19 से 24 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमनें उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि खसरा संख्या 666/66 रकबा 0.8903 हैक्टयर व खसरा संख्या 671/66 रकबा 5.05 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जरिए रजिस्ट्री बेचाननामा के खरीद कर भूमि पर स्वत्व हक व भूमि का कब्जा प्राप्त किया। इसी तरह खसरा संख्या 1349/66 रकबा 5.05 बीघा खरीद कर स्वत्व हक व कब्जा भूमि प्रार्थी संख्या 4 व 5 ने प्राप्त किया तथा तत्पश्चात उक्त भूमि के पटटे प्राप्त करने हेतु धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम के तहत विप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के स्वामित्व खसरा संख्या 666/66,671/66 व 1349/66 की सीमाओं को लेकर पड़ौसी खसरान के खातेदार आए दिन विवाद करते रहते है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की स्वामित्व भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की स्वामित्व भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी स्वामित्व

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की स्वामित्व भूमि ग्राम बिठूजा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 666/66 क्षेत्रफल 0.8903 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करवाकर खेत की सीमाओ स्थायी सीमा चिन्ह कर नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 18 अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो चलने योग्य नही है। क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की स्वामित्व भूमि मे दंखलदान्जी नही की गई है। प्रार्थीगण की भूमि कृषि किस्म नही होने के कारण श्री न्यायालय में हस्तगत आवेदन पत्र चल नही सकता है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किए जाने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से ग्राम बिठूजा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 666/66 रकबा 0.8903 बीघा भूमि की नेखमबंदी करवाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) अनुसार खसरा संख्या 666/66 क्षेत्रफल 0.8903 हैक्टयर भूमि नगर परिषद बालोतरा हिस्सा–पूर्ण खातेदार के खाते में दर्ज है। जो कि विवादित भूमि कृषि किस्म नही होकर गैर कृषिक प्रयोजन के रूप में है। राजस्व न्यायालय को गैर कृषिक किस्म भूमियो पर सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नही है। इस कारण प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण के द्वारा न्यायालय हाजा से राहत प्राप्त नही कर सकते है। लेकिन सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगे।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय हाजा में चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के संबध में सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगे।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 30/01/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 30.1.2026 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

30/01/2026
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा